

कारपोरेट क्षेत्र संबंधी मासिक सूचना बुलेटिन


जनवरी, 2015

**भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
5वां तल, ए-विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली-110001.**

प्रमुख उपलब्धियां

I 31 जनवरी, 2015 तक पंजीकृत कंपनियां

1. 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 14,46,098 कंपनियां पंजीकृत थीं। इनमें से 2,64,180 कंपनियां बंद हो गईं; 101 कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निष्क्रिय दर्जा दिया गया; 1,39,927 कंपनियों ने लगातार तीन वर्षों से अपनी सांविधिक वार्षिक फाइलिंग नहीं की है; 5,258 कंपनियां समापनाधीन थीं; 23,185 कंपनियों का नाम रजिस्टर से हटाने की कार्रवाई चल रही थी और 182 कंपनियों को पुनः सक्रिय करने की कार्रवाई चल रही थी। उपर्युक्त को देखते हुए 31 जनवरी, 2015 तक 10,13,265 सक्रिय कंपनियां थीं।
2. 2,64,180 बंद कंपनियों में से 10,250 कंपनियों का समापन/विघटन किया गया; 2,35,986 कंपनियां निष्क्रिय थीं (अतः नाम हटा दिया गया) ; 15,094 कंपनियों का अन्य कंपनियों के साथ समामेलन/विलय किया गया; 2,850 कंपनियों का विघटन करके एलएलपी में परिवर्तित किया गया। **तालिका 1.1** में 31 जनवरी, 2015 तक की कंपनियों की स्थिति संक्षेप में दर्शाई गई है।
3. 31 जनवरी, 2015 तक सक्रिय कंपनियों के प्राधिकृत पूंजीवार वितरण (**तालिका 1.2**) में दर्शाया गया है कि लगभग 65.62 प्रतिशत कंपनियों (6,64,945) में प्रत्येक की प्राधिकृत पूंजी 10 लाख रूपए से कम या इसके बराबर है और लगभग 2.13 प्रतिशत कंपनियों (21,539) प्रत्येक की प्राधिकृत पूंजी 10 करोड़ रूपए से अधिक है।
4. पंजीकृत कंपनियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार वितरण से पता चलता है कि महाराष्ट्र में कंपनियों की संख्या सर्वाधिक (2,92,345) है और इसके बाद दिल्ली (2,70,003) तथा पश्चिम बंगाल (1,84,379) है। इसी प्रकार 31 जनवरी, 2015 तक 'सक्रिय कंपनियों' में महाराष्ट्र में सर्वाधिक सक्रिय कंपनियां (2,13,735) हैं और इसके बाद दिल्ली (1,95,863) तथा पश्चिम बंगाल (1,37,136) सक्रिय कंपनियां हैं (**तालिका 1.3**)।
5. सक्रिय कंपनियों के आर्थिक कार्यकलापवार वर्गीकरण से पता चलता है कि सर्वाधिक कंपनियां व्यापार सेवा से संबंधित हैं। (2.50 लाख) जिसके बाद विनिर्माण (2.14 लाख), व्यवसाय (1.50 लाख), स्थावर संपदा और किराया (1.50 लाख) और निर्माण क्षेत्र में (1.06 लाख) कंपनियां हैं। व्यापार सेवा में सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास तथा अन्य व्यापार कार्यकलाप (जैसे विधि, लेखा परीक्षा और लेखाकारिता एवं परामर्श आदि) शामिल हैं (**तालिका 1.4 और चार्ट 1.1**)।




एम एंड क्यू - खनन एवं उत्खनन, ईजी एंड डब्ल्यू - विद्युत, गैस और पानी, टीएस एंड सी - परिवहन, भंडारण एवं संचार, सीपी एंड एस - समुदाय, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं। 24,072 सक्रिय कंपनियों (अवर्गीकृत श्रेणी) के पास अमान्य आर्थिक कार्यकलाप (एनआईसी-2004) कोड है।

II एकल व्यक्ति कंपनी

6. 31 जनवरी, 2015 तक कुल 1,705 एकल व्यक्ति कंपनियां 37.97 करोड़ रूपए की सामूहिक प्राधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत की गईं। 31 जनवरी, 2015 तक एकल व्यक्ति कंपनियों का आर्थिक कार्यकलापवार वर्गीकरण दर्शाता है कि अधिकतम एक व्यक्ति कंपनियां व्यापार सेवाओं (938) में हैं और इसके बाद समुदाय, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं (246), स्थावर संपदा और किराया (156) और उत्पादन (136) हैं (चार्ट 2.1)। जनवरी, 2015 के दौरान 6.34 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 298 एकल व्यक्ति कंपनियां पंजीकृत की गईं। इस माह के दौरान एकल व्यक्ति कंपनियों का आर्थिक कार्यकलापवार वर्गीकरण दर्शाता है कि अधिकतम 160 एकल व्यक्ति कंपनियां व्यापार सेवाओं में पंजीकृत की गईं और स्थावर संपदा और किराया में 50, उत्पादन में 29 कंपनियां थीं (तालिका 2.1)। जनवरी, 2015 के दौरान सर्वाधिक 59 एकल व्यक्ति कंपनियां दिल्ली में (19.80%), महाराष्ट्र में 51 (17.11%) और कर्नाटक तथा उत्तरप्रदेश प्रत्येक में 29 (09.73%) पंजीकृत की गईं (तालिका 6.1)।


चार्ट 2.1 - 31 जनवरी, 2015 तक क्षेत्रवार एकल व्यक्ति कंपनियां



एम एंड क्यू - खनन एवं उत्खनन, ईजी एंड डब्ल्यू - विद्युत, गैस और पानी, टीएस एंड सी - परिवहन, भंडारण एवं संचार, सीपी एंड एस - समुदाय, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं, 'आरईएंडआर' - स्थावर संपदा और किराया।

III नई कंपनियों और एलएलपी के पंजीकरण की प्रवृत्ति

7. जनवरी, 2013 से 31 जनवरी, 2015 तक नई कंपनियों के पंजीकरण का विश्लेषण दर्शाता है कि प्रति माह कंपनियों का पंजीकरण बढ़ा है जो अप्रैल, 2014 में न्यूनतम 765 था (चार्ट 3.1)। हालांकि जनवरी, 2014 में पंजीकृत 8,206 कंपनियों की तुलना में जनवरी, 2015 में 6,902 कंपनियां पंजीकृत की गईं परंतु जनवरी, 2015 में पूर्व माह की तुलना में अधिक संख्या में कंपनियां पंजीकृत की गईं। पिछले कुछ माह में एलएलपी के पंजीकरण में भी वृद्धि देखी गई जिसमें जनवरी, 2015 में सर्वाधिक 1,526 कंपनियां पंजीकृत की गईं (तालिका 3.1)। अप्रैल, 2014 से नई कंपनियों के साथ-साथ एलएलपी के पंजीकरण में वृद्धि हुई हालांकि अक्टूबर, 2014 में इनकी संख्या में गिरावट देखी गई।




IV जनवरी, 2015 के दौरान नई कंपनियों का पंजीकरण

8. जनवरी, 2015 के दौरान 1,268.45 करोड़ रूपए की सामूहिक प्राधिकृत पूंजी के साथ कुल 6,902 कंपनियां पंजीकृत की गईं। इनमें से 6,858 कंपनियां 1,268.33 करोड़ रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां थीं; 41 कंपनियां 4.20 लाख रूपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां थीं और 3 कंपनियां 8.00 लाख रूपए की पूंजी के साथ असीमित कंपनियों के रूप में पंजीकृत की गईं (तालिका 4.1)।

9. जनवरी, 2015 के दौरान कंपनियों का आर्थिक कार्यकलापवार वर्गीकरण (तालिका 4.2 और चाट 4.1)। दर्शाता है कि सर्वाधिक कंपनियां व्यापार सेवा (3,147) में थीं और उत्पादन (893), व्यवसाय (640), निर्माण (540) और स्थावर संपदा तथा किराया (455) थीं।

चार्ट 4.1- दिसंबर, 2014 में पंजीकृत कंपनियों का वितरण




'एमएंडक्यू' से खनन और उत्खनन, 'ईजीएंडडब्ल्यू' से विद्युत, गैस और जल, 'टीएस एंड सी' से परिवहन, भंडारण और संचार तथा 'सीपी एंड एस' से समुदाय, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं अभिप्रेत हैं।

10. जनवरी, 2015 के दौरान दिल्ली में 1,266 कंपनियां (18.34%), महाराष्ट्र में 1,251 (18.13%) और उत्तर प्रदेश में 648 (9.39%) कंपनियां पंजीकृत हुईं (तालिका 4.3)।


V. सीमित देयता भागीदारियां (एलएलपी) और विदेशी कंपनियां

11. 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 32,371 एलएलपी पंजीकृत थी और उनमें से 31,971 सक्रिय थी। लगभग 82.46% सक्रिय सीमित देयता भागीदारियों (26,362) में से प्रत्येक पर पांच लाख रुपए या उसके बराबर अंशदान की देयता थी; और मात्र 3.07% सीमित देयता भागीदारियों (980) में से प्रत्येक पर एक करोड़ रुपए से अधिक के अंशदान की देयता थी (तालिका 5.1 और चार्ट 5.1)।




12. 31 जनवरी, 2015 को सक्रिय एलएलपी के मुख्य आर्थिक क्षेत्र-वार वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 23,974 एलएलपी हैं, जिसके बाद उद्योग और कृषि क्षेत्र में क्रमशः 7407 और 588 एलएलपी हैं। 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार सक्रिय एलएलपी के आर्थिक कार्यकलाप-वार वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में एलएलपी हैं (12,619) जिसके बाद स्थावर संपदा और किराया (3893), निर्माण (3761) और व्यापार (3,489) आता है (तालिका 5.2 और चार्ट 5.2)।

चार्ट 5.2 – 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार एलएलपी



‘टीएस एंड सी’ से परिवहन, भंडारण और संचार तथा ‘सीपी एंड एस’ से समुदाय, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं अभिप्रेत हैं।

13. जनवरी, 2015 के दौरान कुल 1,526 सीमित देयता भागिदारियां (एलएलपी) पंजीकृत हुईं जिनकी कुल अंशदान देयता 174.77 करोड़ रुपए थी। इस माह के दौरान सीमित देयता भागिदारियों के आर्थिक कार्यकलाप-वार वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 553 एलएलपी व्यावसायिक सेवाओं में थी जिसके पश्चात् स्थावर संपदा और किराये में 198 और विनिर्माण में 192 एलएलपी थी (तालिका 5.3 और चार्ट 5.3)। जनवरी, 2015 के महीने में सर्वाधिक 495 एलएलपी महाराष्ट्र में (32.44%) पंजीकृत हुईं जिसके पश्चात् दिल्ली में 190 (12.45%) एलएलपी पंजीकृत हुईं (तालिका 6.1)।



'एमएंडक्यू' से खनन और उत्खनन, 'टीएस एंड सी' से परिवहन, भंडारण और संचार तथा 'सीपी एंड एस' से समुदाय, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं अभिप्रेत हैं।

विदेशी कंपनियां

14. 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल 3302 विदेशी कंपनियां भारत में व्यवसाय कर रही थीं। जनवरी, 2015 के महीने में 05 विदेशी कंपनियां भारत में पंजीकृत हुईं जिनमें महाराष्ट्र में 2, दिल्ली, हरियाणा और तेलंगाना प्रत्येक में 1, विदेशी कंपनियां पंजीकृत हुईं। इन 05 विदेशी कंपनियों में से 04 व्यवसाय सेवाओं के अधीन पंजीकृत हुईं और शेष एक व्यापार के अधीन पंजीकृत हुईं।

| तालिका 1.1 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार भारत में कंपनियों का सार विवरण | | |
|--|---|------------------|
| 1 | 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत कंपनियां | 1,446,098 |
| 2 | बंद कंपनियों की संख्या | 264,180 |
| i | परिसमापित/विघटित कंपनियों की संख्या | 10,250 |
| ii | निष्क्रिय/नाम हटाए गए (धारा 560) कंपनियों की संख्या | 235,986 |
| iii | आमेलित/विलय की गई कंपनियों की संख्या | 15,094 |
| iv | एलएलपी में संपरिवर्तित कंपनियों की संख्या | 2,850 |
| 3 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनियों की संख्या | 101 |
| 4 | लगातार तीन वर्षों के लिए सांविधिक वार्षिक फाइलिंग नहीं करने वाली कंपनियों की संख्या | 139,927 |
| 5 | परिसमापनाधीन कंपनियों की संख्या | 5,258 |
| 6 | कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 560 की प्रक्रिया के अधीन कंपनियों की संख्या | 23,185 |
| 7 | एआईपीजी (प्रगति में सक्रिय) रहने वाली कंपनियों की संख्या | 182 |
| | सक्रिय कंपनियों की संख्या | 1,013,265 |

नोट:

1. एआईपीजी - (प्रगति में सक्रिय) - निष्क्रिय कंपनी को मंत्रालय द्वारा लंबित वार्षिक फाइलिंग दर्ज करने हेतु 21 दिन का समय दिया जाता है। इस अवधि के दौरान कंपनी की स्थिति प्रगति में सक्रिय रहती है।
2. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन कंपनी रजिस्ट्रार को निष्क्रिय कंपनियों का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का अधिकार है। यह प्रक्रिया कंपनियों के परिसमापन से (अधिकरण द्वारा या स्वैच्छिक रूप से) अलग है।

तालिका 1.2 - 31 जनवरी, 2015 की स्थिति के अनुसार प्राधिकृत पूंजी-वार सक्रिय कंपनियां

(प्राधिकृत पूंजी करोड़ रुपए में)

| क्रम संख्या | प्राधिकृत पूंजी रेंज | निजी | | सार्वजनिक | | योग | |
|-------------|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी |
| 1 | एक लाख रुपए तक | 342,711 | 3,385.32 | 1,586 | 1.30 | 344,297 | 3,386.63 |
| 2 | 1 लाख रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक | 187,485 | 7,915.15 | 9,468 | 471.67 | 196,953 | 8,386.82 |
| 3 | 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक | 117,879 | 11,516.16 | 5,816 | 554.21 | 123,695 | 12,070.37 |
| 4 | 10 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए तक | 86,486 | 17,947.35 | 5,208 | 1,139.18 | 91,694 | 19,086.53 |
| 5 | 25 लाख रुपए से अधिक और 50 लाख रुपए तक | 70,181 | 30,361.66 | 5,255 | 2,394.80 | 75,436 | 32,756.46 |
| 6 | 50 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक | 58,544 | 52,040.58 | 7,727 | 7,276.46 | 66,271 | 59,317.05 |
| 7 | 1 करोड़ रुपए से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक | 33,593 | 55,720.37 | 5,196 | 8,925.56 | 38,789 | 64,645.93 |
| 8 | 2 करोड़ रुपए से अधिक और 5 करोड़ रुपए तक | 30,451 | 110,532.43 | 8,272 | 32,644.55 | 38,723 | 143,176.98 |
| 9 | 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक | 10,084 | 79,383.14 | 5,784 | 46,105.22 | 15,868 | 125,488.36 |
| 10 | 10 करोड़ रुपए से अधिक और 25 करोड़ रुपए तक | 6,209 | 103,043.74 | 4,931 | 84,376.47 | 11,140 | 187,420.21 |
| 11 | 25 करोड़ रुपए से अधिक और 100 करोड़ रुपए तक | 3,598 | 178,750.11 | 3,550 | 185,011.60 | 7,148 | 363,761.71 |
| 12 | 100 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक | 1,098 | 232,797.91 | 1,195 | 259,527.33 | 2,293 | 492,325.24 |
| 13 | 500 करोड़ रुपए से अधिक और 1000 करोड़ रुपए तक | 130 | 99,060.89 | 235 | 186,140.81 | 365 | 285,201.70 |
| 14 | 1000 करोड़ रुपए से अधिक | 122 | 477,774.71 | 471 | 2,100,245.31 | 593 | 2,578,020.01 |
| | योग | 948,571 | 1,460,229.52 | 64,694 | 2,914,814.48 | 1,013,265 | 4,375,044.00 |

तालिका 1.3: 31 जनवरी, 2015 तक पंजीकृत कंपनियों की राज्य/संघ-शासित प्रदेश-वार स्थिति

| क्र.सं. | राज्य/संघ-शासित प्रदेश | पंजीकृत | बंद की गई | 3वर्षों तक वार्षिक फाइलिंग नहीं की गई | निष्क्रिय | जिनके विरुद्ध परिसमापन की कार्रवाई चल रही है | जिनके विरुद्ध नाम हटाने की कार्रवाई चल रही है | एआईपीजी | सक्रिय |
|---------|----------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------|--|---|------------|------------------|
| 1 | अंडमान और निकोबार दीव समूह | 243 | 5 | 46 | - | - | - | 2 | 190 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 20,929 | 2,146 | 5,396 | - | 52 | 199 | 4 | 13,132 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 489 | 234 | 9 | - | 2 | 61 | - | 183 |
| 4 | असम | 9,207 | 2,720 | 173 | - | 14 | 1,254 | 1 | 5,045 |
| 5 | बिहार | 19,337 | 2,367 | 1,214 | 1 | 41 | 3,360 | 3 | 12,351 |
| 6 | चंडीगढ़ | 12,596 | 3,917 | 1,105 | - | 68 | 82 | - | 7,424 |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 7,459 | 1,042 | 244 | - | 1 | 19 | 1 | 6,152 |
| 8 | दादर एवं नगर हवेली | 443 | 39 | 52 | - | - | 11 | - | 341 |
| 9 | दमन एवं दीव | 308 | 59 | 22 | 1 | 2 | 35 | - | 189 |
| 10 | दिल्ली | 270,003 | 43,662 | 28,232 | 31 | 682 | 1,509 | 24 | 195,863 |
| 11 | गोवा | 7,317 | 1,408 | 443 | - | 11 | 628 | - | 4,827 |
| 12 | गुजरात | 80,520 | 14,031 | 10,858 | 4 | 568 | 2,898 | 5 | 52,156 |
| 13 | हरियाणा | 25,519 | 2,443 | 2,172 | 4 | 28 | 147 | 2 | 20,723 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 4,675 | 1,111 | 413 | - | 20 | 122 | - | 3,009 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 3,947 | 609 | 979 | - | 15 | 68 | - | 2,276 |
| 16 | झारखंड | 8,771 | 1,049 | 616 | - | 12 | 804 | 1 | 6,289 |
| 17 | कर्नाटक | 77,588 | 15,309 | 7,902 | 6 | 495 | 861 | 6 | 53,009 |
| 18 | केरल | 37,542 | 10,264 | 2,217 | 14 | 295 | 165 | 6 | 24,581 |
| 19 | लक्षद्वीप | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 10 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 29,532 | 7,380 | 1,339 | - | 65 | 164 | 1 | 20,583 |
| 21 | महाराष्ट्र | 292,345 | 41,140 | 33,955 | 11 | 1,246 | 2,181 | 77 | 213,735 |
| 22 | मणिपुर | 387 | 153 | 17 | - | - | 36 | 1 | 180 |
| 23 | मेघालय | 931 | 320 | 13 | - | 2 | 69 | - | 527 |
| 24 | मिजोरम | 96 | 53 | 7 | - | - | 7 | - | 29 |
| 25 | नागालैंड | 475 | 262 | 25 | - | 1 | 36 | - | 151 |
| 26 | उड़ीसा | 18,211 | 5,542 | 567 | - | 64 | 223 | - | 11,815 |
| 27 | पुडुचेरी | 2,731 | 1,140 | 229 | - | 13 | 4 | - | 1,345 |
| 28 | पंजाब | 26,035 | 8,467 | 2,018 | - | 113 | 159 | - | 15,278 |
| 29 | राजस्थान | 45,514 | 7,283 | 1,393 | 1 | 73 | 2,169 | 2 | 34,593 |
| 30 | सिक्किम | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | तमिलनाडु | 113,495 | 27,603 | 15,434 | 8 | 271 | 1,744 | 22 | 68,413 |
| 32 | तेलंगाना | 76,203 | 6,903 | 17,226 | - | 222 | 803 | 16 | 51,033 |
| 33 | त्रिपुरा | 330 | 80 | 5 | - | - | 40 | - | 205 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 63,940 | 11,339 | 4,714 | 5 | 214 | 663 | 6 | 46,999 |
| 35 | उत्तराखंड | 4,589 | 728 | 83 | - | 14 | 271 | - | 3,493 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 184,379 | 43,372 | 807 | 15 | 654 | 2,393 | 2 | 137,136 |
| | कुल | 1,446,098 | 264,180 | 139,927 | 101 | 5,258 | 23,185 | 182 | 1,013,265 |

नोट

- 1 एआईपीजी(प्रगति में सक्रिय): मंत्रालय द्वारा एक निष्क्रिय कंपनी को अपनी लंबित वार्षिक फाइलिंग करने के लिए 21 दिन का समय दिया जाता है। इस अवधि के दौरान कंपनी की स्थिति प्रगति में सक्रिय होगी।
- 2 सिक्किम कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत नहीं आता है।

तालिका 1.4: दिनांक 31 जनवरी, 2015 तक आर्थिक कार्यकलाप-वार सक्रिय कंपनियां

(प्राधिकृत पूंजी करोड़ रूप में)

| क्र.सं. | आर्थिक गतिविधि | निजी | | सार्वजनिक | | कुल | |
|---------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी |
| I | कृषि और संबद्ध गतिविधियां | 23,175 | 15,855.88 | 2,860 | 32,753.46 | 26,035 | 48,609.34 |
| II | उद्योग | 319777 | 709,823.18 | 25,752 | 1,637,308.47 | 345,529 | 2,347,131.65 |
| 1 | उत्पादन | 196,317 | 391,153.72 | 17,868 | 612,756.27 | 214,185 | 1,003,909.99 |
| 2 | निर्माण कार्य | 100,856 | 176,809.90 | 5,391 | 224,204.19 | 106,247 | 401,014.09 |
| 3 | बिजली, गैस और जल कंपनियां | 11535 | 113,285.21 | 1,750 | 743,267.14 | 13,285 | 856,552.35 |
| 4 | खनन और उत्खनन | 11,069 | 28,574.35 | 743 | 57,080.88 | 11,812 | 85,655.22 |
| III | सेवाएं | 583665 | 702,540.99 | 33,964 | 1,080,325.81 | 617,629 | 1,782,866.81 |
| 1 | व्यापार सेवाएं | 239,731 | 246,851.31 | 9,970 | 385,433.47 | 249,701 | 632,284.79 |
| 2 | व्यवसायिक | 30,684 | 43,734.62 | 1,459 | 171,140.29 | 32,143 | 214,874.91 |
| 3 | रीयल एस्टेट और किराया | 143,905 | 136,349.86 | 6,277 | 106,577.13 | 150,182 | 242,926.99 |
| 4 | सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं | 59,239 | 62,285.46 | 3,858 | 117,223.29 | 63,097 | 179,508.75 |
| 5 | वित्त | 39,399 | 150,525.49 | 8,373 | 227,755.31 | 47,772 | 378,280.80 |
| 6 | परिवहन, संचयन और संचार | 70,084 | 61,708.77 | 3,890 | 31,783.33 | 73,974 | 93,492.10 |
| 7 | बीमा | 623 | 1,085.48 | 137 | 40,412.98 | 760 | 41,498.46 |
| IV | अन्य | 21,954 | 32,009.47 | 2,118 | 164,426.74 | 24,072 | 196,436.21 |
| | कुल | 948,571 | 1,460,229.52 | 64,694 | 2,914,814.48 | 1,013,265 | 4,375,044.00 |

अमान्य आर्थिक कार्यकलाप (एनआईसी-2004) कोड वाली कंपनियों को अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया है।

तालिका 2.1: आर्थिक गतिविधि-वार एकल व्यक्ति कंपनी

(प्राधिकृत पूंजी लाख रूपए में)

| क्र.सं. | आर्थिक गतिविधि | 31.01.2015 तक | | जनवरी, 2015 के दौरान | |
|---------|-----------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| | | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी |
| I | कृषि और संबद्ध गतिविधियां | 23 | 91.00 | 2 | 2.00 |
| II | उद्योग | 236 | 654.00 | 40 | 110.00 |
| 1 | उत्पादन | 136 | 366.00 | 29 | 99.00 |
| 2 | निर्माण कार्य | 71 | 209.00 | 6 | 6.00 |
| 3 | बिजली, गैस और जल कंपनियां | 12 | 34.00 | 3 | 3.00 |
| 4 | खनन और उत्खनन | 17 | 45.00 | 2 | 2.00 |
| III | सेवाएं | 1,445 | 3,042.00 | 256 | 522.00 |
| 1 | व्यापार सेवाएं | 938 | 1,884.00 | 160 | 312.00 |
| 2 | व्यवसायिक | 48 | 107.00 | 21 | 59.00 |
| 3 | रीयल एस्टेट और किराया | 156 | 375.00 | 50 | 98.00 |
| 4 | सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं | 246 | 488.00 | 9 | 26.00 |
| 5 | वित्त | 17 | 73.00 | 11 | 22.00 |
| 6 | परिवहन, संचयन और संचार | 40 | 115.00 | 5 | 5.00 |
| IV | अन्य | 1 | 10.00 | - | - |
| | कुल | 1,705 | 3,797.00 | 298 | 634.00 |

तालिका 3.1 : पंजीकृत कंपनियों और सीमित देयता भागीदारियों की माहवार संख्या

| माह | सार्वजनिक कंपनियां | निजी कंपनियां | सीमित देयता भागीदारी |
|--------------|--------------------|---------------|----------------------|
| जनवरी 2013 | 182 | 5,326 | 483 |
| फरवरी 2013 | 243 | 6,229 | 337 |
| मार्च 2013 | 202 | 6,708 | 535 |
| अप्रैल 2013 | 383 | 8,643 | 666 |
| मई 2013 | 324 | 10,222 | 662 |
| जून 2013 | 260 | 7,804 | 565 |
| जुलाई 2013 | 230 | 8,554 | 679 |
| अगस्त 2013 | 171 | 7,010 | 531 |
| सितंबर 2013 | 271 | 7,227 | 524 |
| अक्तूबर 2013 | 175 | 6,410 | 586 |
| नवंबर 2013 | 169 | 7,166 | 493 |
| दिसंबर 2013 | 204 | 7,740 | 722 |
| जनवरी 2014 | 256 | 7,950 | 792 |
| फरवरी 2014 | 213 | 7,300 | 865 |
| मार्च 2014 | 508 | 9,247 | 897 |
| अप्रैल 2014 | 27 | 738 | 562 |
| मई 2014 | 29 | 1,760 | 531 |
| जून 2014 | 89 | 4,712 | 825 |
| जुलाई 2014 | 139 | 7,090 | 1,131 |
| अगस्त 2014 | 130 | 6,546 | 1,171 |
| सितंबर 2014 | 139 | 6,725 | 1,235 |
| अक्तूबर 2014 | 89 | 4,194 | 963 |
| नवंबर 2014 | 125 | 5,346 | 1,244 |
| दिसंबर 2014 | 150 | 6,296 | 1,399 |
| जनवरी 2015 | 144 | 6,758 | 1,526 |

| तालिका 4.1: जनवरी, 2015 के दौरान नई कंपनियों का पंजीकरण | | | |
|---|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| क्र.सं. | श्रेणी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी (लाख रूपए में) |
| 1 | शेयरों द्वारा सीमित कंपनी | 6,858 | 126,832.92 |
| i | निजी | 6,723 | 113,234.92 |
| ii | सार्वजनिक | 135 | 13,598.00 |
| 2 | गारंटी द्वारा सीमित कंपनी | 41 | 4.20 |
| i | निजी | 32 | 4.20 |
| ii | सार्वजनिक | 9 | 0.00 |
| 3 | असीमित कंपनी | 3 | 8.00 |
| i | निजी | 3 | 8.00 |
| ii | सार्वजनिक | 0 | 0.00 |
| | कुल | 6,902 | 126,845.12 |

| तालिका 4.2: जनवरी, 2015 के दौरान गतिविधि -वार नई कंपनियों का पंजीकरण (प्राधिकृत पूंजी लाख रूपए में) | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| क्र.सं. | आर्थिक गतिविधि | निजी | | सार्वजनिक | | कुल | |
| | | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी |
| I | कृषि और संबद्ध गतिविधियां | 228 | 3,255.70 | 6 | 40.00 | 234 | 3,295.70 |
| II | उद्योग | 1,593 | 61,696.05 | 29 | 2,700.00 | 1,622 | 64,396.05 |
| | उत्पादन | 876 | 14,108.15 | 17 | 1,035.00 | 893 | 15,143.15 |
| | निर्माण कार्य | 532 | 5,335.90 | 8 | 560.00 | 540 | 5,895.90 |
| | बिजली, गैस और जल कंपनियां | 129 | 36,083.00 | 2 | 105.00 | 131 | 36,188.00 |
| | खनन और उत्खनन | 56 | 6,169.00 | 2 | 1,000.00 | 58 | 7,169.00 |
| III | सेवाएं | 4,936 | 48,294.37 | 109 | 10,858.00 | 5,045 | 59,152.36 |
| | व्यापार सेवाएं | 3,106 | 21,329.73 | 41 | 5,406.00 | 3,147 | 26,735.73 |
| | व्यवसाय | 635 | 6,956.00 | 5 | 60.00 | 640 | 7,016.00 |
| | सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं | 435 | 3,760.94 | 8 | 150.00 | 443 | 3,910.94 |
| | रीयल एस्टेट और किराया | 439 | 5,721.80 | 16 | 97.00 | 455 | 5,818.80 |
| | परिवहन, संचयन और संचार | 204 | 2,671.20 | - | - | 204 | 2,671.20 |
| | वित्त | 115 | 7,848.70 | 38 | 1,645.00 | 153 | 9,493.70 |
| | बीमा | 2 | 6.00 | 1 | 3,500.00 | 3 | 3,506.00 |
| IV | अन्य | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 |
| | कुल | 6,758 | 113,247.12 | 144 | 13,598.00 | 6,902 | 126,845.12 |

तालिका 4.3: जनवरी, 2015 के दौरान कंपनियों का राज्य/संघ शासनवार पंजीकरण

(प्राधिकृत पूंजी लाख रूप में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | निजी | | सार्वजनिक | | कुल | |
|---------|------------------------|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी | संख्या | प्राधिकृत पूंजी |
| 1 | अंडमान और निकोबार दीव | 2 | 22.00 | - | - | 2 | 22.00 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 171 | 3,116.50 | 1 | 1,000.00 | 172 | 4,116.50 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1.00 | - | - | 1 | 1.00 |
| 4 | असम | 31 | 709.00 | - | - | 31 | 709.00 |
| 5 | बिहार | 205 | 1,902.50 | 8 | 95.00 | 213 | 1,997.50 |
| 6 | चंडीगढ़ | 52 | 788.00 | 1 | 5.00 | 53 | 793.00 |
| 7 | छत्तीगढ़ | 28 | 245.00 | 4 | 520.00 | 32 | 765.00 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 2 | 2.00 | - | - | 2 | 2.00 |
| 9 | दिल्ली | 1,242 | 10,875.57 | 24 | 5,525.00 | 1,266 | 16,400.57 |
| 10 | गोवा | 18 | 147.00 | - | - | 18 | 147.00 |
| 11 | गुजरात | 373 | 3,922.70 | 10 | 115.00 | 383 | 4,037.70 |
| 12 | हरियाणा | 287 | 1,007.41 | 4 | 715.00 | 291 | 1,722.41 |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 21 | 164.00 | - | - | 21 | 164.00 |
| 14 | जम्मू एवं कश्मीर | 13 | 51.00 | - | - | 13 | 51.00 |
| 15 | झारखंड | 65 | 758.00 | 2 | 510.00 | 67 | 1,268.00 |
| 16 | कर्नाटक | 578 | 11,743.40 | 3 | 25.00 | 581 | 11,768.40 |
| 17 | केरल | 138 | 36,153.00 | 4 | 125.00 | 142 | 36,278.00 |
| 18 | मध्य प्रदेश | 149 | 2,125.00 | - | - | 149 | 2,125.00 |
| 19 | महाराष्ट्र | 1,230 | 13,579.05 | 21 | 3,655.00 | 1,251 | 17,234.05 |
| 20 | मणिपुर | 14 | 219.00 | - | - | 14 | 219.00 |
| 21 | मेघालय | 1 | 10.00 | - | - | 1 | 10.00 |
| 22 | मिजोरम | 2 | 11.00 | - | - | 2 | 11.00 |
| 23 | नागलैंड | 3 | 21.00 | - | - | 3 | 21.00 |
| 24 | उड़ीसा | 84 | 697.50 | - | - | 84 | 697.50 |
| 25 | पुडुचेरी | 4 | 14.00 | - | - | 4 | 14.00 |
| 26 | पंजाब | 61 | 372.50 | 3 | 20.00 | 64 | 392.50 |
| 27 | राजस्थान | 155 | 1,320.00 | 2 | 10.00 | 157 | 1,330.00 |
| 28 | तमिलनाडु | 446 | 10,141.90 | 12 | 132.00 | 458 | 10,273.90 |
| 29 | तेलंगाना | 373 | 2,953.99 | 1 | 6.00 | 374 | 2,959.99 |
| 30 | त्रिपुरा | 3 | 3.00 | 1 | 100.00 | 4 | 103.00 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 617 | 5,400.80 | 31 | 290.00 | 648 | 5,690.80 |
| 31 | उत्तराखंड | 25 | 198.00 | 1 | 5.00 | 26 | 203.00 |
| 32 | पश्चिम बंगाल | 364 | 4572.30 | 11 | 745.00 | 375 | 5317.30 |
| | कुल | 6,758 | 113,247.12 | 144 | 13,598.00 | 6,902 | 126,845.12 |

| तालिका 5.1: 31 जनवरी, 2015 तक योगदान की बाध्यता वार सक्रिय सीमित देयता भागीदारियां | | | |
|--|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| क्र.सं. | योगदान सीमा की बाध्यता | संख्या | योगदान की बाध्यता (लाख रूपए में) |
| 1 | 1 लाख तक | 22,390 | 17,491.53 |
| 2 | 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक | 3,972 | 13,657.24 |
| 3 | 5 लाख से अधिक और 10 लाख तक | 2,054 | 19,104.69 |
| 4 | 10 लाख से अधिक और 25 लाख तक | 1,188 | 22,116.40 |
| 5 | 25 लाख से अधिक और 50 लाख तक | 743 | 30,320.73 |
| 6 | 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक | 644 | 56,072.02 |
| 7 | 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ तक | 297 | 46,000.89 |
| 8 | 2 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक | 341 | 117,055.34 |
| 9 | 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ तक | 149 | 116,194.58 |
| 10 | 10 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ तक | 92 | 155,801.98 |
| 11 | 25 करोड़ से अधिक और 100 करोड़ तक | 89 | 473,583.31 |
| 12 | 100 करोड़ से अधिक | 12 | 272,898.12 |
| | कुल | 31,971 | 1,340,296.82 |

| तालिका 5.2: दिनांक 31 जनवरी, 2015 तक आर्थिक गतिविधि-वार सक्रिय सीमित देयता भागीदारियां | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| क्रम संख्या | आर्थिक गतिविधि | संख्या | योगदान की बाध्यता (लाख रूपए में) |
| I | कृषि और संबद्ध गतिविधि | 588 | 22,005.38 |
| II | उद्योग | 7,407 | 502,391.94 |
| 1 | उत्पादन | 3,256 | 143,960.99 |
| 2 | निर्माण कार्य | 3,761 | 198,737.13 |
| 3 | बिजली, गैस और जल कंपनियां | 189 | 149,771.98 |
| 4 | खनन और उत्खनन | 201 | 9,921.85 |
| III | सेवाएं | 23,974 | 815,887.51 |
| 1 | व्यापार सेवाएं | 12,619 | 242,417.87 |
| 2 | व्यवसायिक | 3,489 | 234,421.29 |
| 3 | रीयल एस्टेट और किराया | 3,893 | 192,684.66 |
| 4 | सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं | 2,766 | 64,124.89 |
| 5 | वित्त | 590 | 76,583.25 |
| 6 | परिवहन, संचयन और संचार | 609 | 5,588.05 |
| 7 | बीमा | 8 | 67.50 |
| IV | अवर्गीकृत | 2 | 12.00 |
| | कुल | 31,971 | 1,340,296.82 |

टिप्पण- योगदान की बाध्यता में मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां अथवा सीमित देयता भागीदारी के पार्टनरों द्वारा लिए गए अन्य लाभ भी शामिल हैं।

| तालिका 5.3: जनवरी, 2015 के दौरान पंजीकृत आर्थिक गतिविधि-वार सीमित देयता भागीदारियां | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| क्र.सं. | आर्थिक गतिविधि | संख्या | योगदान की बाध्यता (लाख रूपए में) |
| I | कृषि और संबद्ध गतिविधियां | 40 | 1,101.50 |
| II | उद्योग | 365 | 5,775.11 |
| 1 | उत्पादन | 187 | 3,462.94 |
| 2 | निर्माण कार्य | 160 | 2,274.47 |
| 3 | बिजली, गैस और जल कंपनियां | 10 | 17.20 |
| 4 | खनन और उत्खनन | 8 | 20.50 |
| III | सेवाएं | 1,121 | 10,599.96 |
| 1 | व्यापार सेवाएं | 553 | 3,894.90 |
| 2 | व्यवसायिक | 192 | 2,106.76 |
| 3 | रीयल एस्टेट और किराया | 198 | 3,370.91 |
| 4 | सामुदायिक, निजी और सामाजिक सेवाएं | 131 | 570.75 |
| 5 | वित्त | 19 | 206.05 |
| 6 | परिवहन, संचयन और संचार | 28 | 450.60 |
| | कुल | 1,526 | 17,476.57 |

टिप्पण- योगदान की बाध्यता में मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियां अथवा सीमित देयता भागीदारी के पार्टनरों द्वारा लाए गए अन्य लाभ भी शामिल हैं।

| तालिका 6.1: जनवरी, 2015 के दौरान पंजीकृत राज्य/संघ शासित वार,ओपीसी, सीमित देयता भागीदारी एवं विदेशी कंपनियां | | | |
|--|------------|----------------------|-----------------|
| राज्य/संघ शासित प्रदेश | ओपीसी | सीमित देयता भागीदारी | विदेशी कंपनियां |
| अंडमान और निकोबार दीव | - | - | - |
| आंध्र प्रदेश | 7 | 16 | - |
| अरुणाचल प्रदेश | - | - | - |
| असम | 2 | 4 | - |
| बिहार | 16 | 16 | - |
| चंडीगढ़ | 2 | 3 | - |
| छत्तीगढ़ | - | 4 | - |
| दादरा और नगर हवेली | - | 2 | - |
| दामन एवं दीव | - | 1 | - |
| दिल्ली | 59 | 190 | 1 |
| गोवा | - | 1 | - |
| गुजरात | 10 | 114 | - |
| हरियाणा | 15 | 31 | 1 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | 3 | - |
| जम्मू एवं कश्मीर | - | - | - |
| झारखंड | 1 | 2 | - |
| कर्नाटक | 29 | 139 | - |
| केरल | 3 | 40 | - |
| मध्य प्रदेश | 10 | 28 | - |
| महाराष्ट्र | 51 | 495 | 2 |
| मणिपुर | - | - | - |
| मेघालय | - | 1 | - |
| मिजोरम | - | - | - |
| नागलैंड | - | - | - |
| उड़ीसा | 7 | 7 | - |
| पुडुचेरी | - | - | - |
| पंजाब | 3 | 8 | - |
| राजस्थान | 12 | 84 | - |
| सिक्किम | - | 1 | - |
| तमिलनाडु | 18 | 71 | - |
| तेलंगाना | 11 | 41 | 1 |
| त्रिपुरा | - | - | - |
| उत्तर प्रदेश | 29 | 67 | - |
| उत्तराखंड | 2 | 4 | - |
| पश्चिम बंगाल | 7 | 153 | - |
| कुल | 298 | 1,526 | 5 |